

पत्रांक : 02/वि०वि०मि०(पे०स्व०ग्रा०वि०)-07/2017.....206

बिहार सरकार  
बिहार विकास मिशन

प्रेषक,

विनय कुमार, भा.प्र.से.,  
मिशन निदेशक  
बिहार विकास मिशन, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
पंचायती राज विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग  
सचिव,  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार पटना।

पटना, दिनांक.....15/02/2022

विषय: मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहूत 'हर घर नल का जल' निश्चय की समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दिनांक 24.02.2022 को अपराह्न 05:00 बजे से मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में 6A, सर्कुलर रोड, पटना स्थित बिहार विकास मिशन के शासी निकाय कार्यालय के सभाकक्ष से विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'हर घर नल का जल' निश्चय की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी है।

बैठक की कार्यावली की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन सहित भाग लेने तथा कार्यावली में अंकित बिन्दुओं का अद्यतन प्रतिवेदन दिनांक 21.02.2022 तक मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।  
अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(विनय कुमार)

मिशन निदेशक


ज्ञापांक : 02/वि०वि०मि०(पे०स्व०ग्रा०वि०)-07/2017..206...पटना, दिनांक ...15/02/2022...  
प्रतिलिपि : अपर निदेशक(प्रोग्राम मॉनिटरिंग) एवं अपर निदेशक(प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन), बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन निदेशक

ज्ञापांक : 02/वि०वि०मि०(पे०स्व०ग्रा०वि०)-07/2017..206...पटना, दिनांक ...15/02/2022...  
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आस सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन निदेशक

ज्ञापंक : 02/वि०वि०मि०(पे०स्व०ग्रा०वि०)-07/2017...206...पटना, दिनांक ...15/02/2022  
प्रतिलिपि : आई. टी. प्रबंधक/हाउस कीर्पिंग ऑफिसर, मिशन निदेशक कार्यालय, बिहार विकास मिशन  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

  
मिशन निदेशक

## कार्यावली

- I. योजनाओं की प्रगति एवं पूर्णता का प्रतिशत ।
- II. I.O.T. Device के अधिष्ठापन की प्रगति ।
- III. निर्मित योजनाओं के रख-रखाव की स्थिति ।
- IV. लाभुकों से मासिक शुल्क की वसूली ।
- V. कतिपय ग्रामीण वार्डों के कटाव-ग्रस्त एवं गंगशिकस्त होने से आबादी विहीन/बेचिरागी हो जाने के कारण संबंधित विभागों के लक्ष्य से नियमानुसार विलोपन ।
- VI. कतिपय पंचायतों/वार्डों के नवनिर्मित नगर निकायों अथवा नगर निकायों के विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हो जाने के कारण ऐसे वार्डों में योजना के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय समन्वय ।